



ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)

Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi – 110070

Ph. No.: 011-29581050, 011-29581515 Website: www.aicte-india.org

PUBLIC NOTICE FOR APPROVAL PROCESS 2023-24

AICTE invites applications from the Education Partners (Stakeholders) for the following proposals: -

1. Setting up the New Technical Institutions in the Programmes - Engineering and Technology, Planning, Applied Arts and Crafts, Design, Hotel Management and Catering Technology, Computer Application (MCA), Management (PGCM/PGDM/MBA)
2. Extension of approval from the Existing Technical Institutions / Institutions Deemed to be Universities/ Universities (Central/State / Private)
3. To obtain Extension of Approval / NOC for running the Programmes / Courses (Management, Computer Applications, Artificial Intelligence and Data Science, Logistics and Travel & Tourism) in ODL and or Online mode from the Standalone Institutions / Institutions Deemed to be Universities/ Universities (Central/State / Private).

All applicants are requested to read carefully and thoroughly the AICTE Approval Process Handbook (APH) 2023-24 and All India Council for Technical Education (Grant of approval for Technical Institution) Regulations, 2020 & 1st Amendment Regulations, 2021 which are available @ www.aicte-india.org before submitting online applications on AICTE Web Portal for the Academic Session 2023-24.

Education Partners (Stakeholders) intended to Establish New Technical Institution(s) shall submit an online application on “National Single Window System (NSWS)” (<https://www.nsws.gov.in>) as per provisions laid down in Approval Process Handbook (APH) 2023-24. Central / State / Private University willing to take AICTE approval for their Technical Programme shall have to obtain approval for ALL Technical Programmes / Courses (Partial approval shall NOT be permitted). ***If it is noticed that an University / Institutions Deemed to be University has taken partial approval, then their approval accorded shall be subsequently withdrawn.***

All ***Existing Technical Institutes / Institutions Deemed to be Universities / Central / State / Private Universities*** already approved by AICTE shall submit online application Under Chapter – II / III / IV / V / VI as per provisions laid down in APH 2023-24. It is not mandatory for the Central, State and Private Universities to take approval of AICTE for Technical Programmes. However, such Institutions have to maintain AICTE norms in conducting Technical Programmes. They may take approval of AICTE to avail various benefits of AICTE schemes including scholarships for the students.

The existing Institutions offering Courses in Applied Arts and Crafts / Non-Technical Institutions conducting MCA/ MBA, without the approval of AICTE and seeking approval for the first time from AICTE, shall submit an application as a New Technical Institution.

For Institutions Deemed to be Universities, it is mandatory to have AICTE approval from the Academic Year 2018-19 in compliance of the Honourable Supreme Court Order dated 03-11-2017 passed in **CA No.17869- 17870 / 2017**.

The Standalone Institutions / Institutions Deemed to be Universities / Universities already approved by AICTE intending to Introduce / Continue courses in ***Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes*** shall submit application as per Chapter - V of APH 2023 – 24. Further as per UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations 2020, approval of respective regulatory body is necessary for running the programmes under ***Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes***. Accordingly, approval of AICTE as per provisions laid down in Chapter – V of APH 2023-24 is required to be taken.

Grant of Approval is given for the following proposals to the Existing Technical Institutions:

- Extension of Approval based on Self-Disclosure
- Introduction / Continuation of seats for Non Resident Indian(s)

- Change of Site / Location
- Conversion of Diploma Level into Degree Level and vice-versa
- To start New Programme / Level in the existing Institutions
- Merger of Institutions under the same Trust / Society / Company operating in the same Campus or City
- Extension of Approval of the existing Institutions after a break in the preceding Academic Year / Restoration of Intake
- Introduction / Continuation of supernumerary seats for Foreign Nationals / Overseas Citizen of India (OCI)/ Children of Indian Workers in Gulf Countries
- Conversion of Women's Institution into Co-ed Institution and vice-versa
- Increase in Intake / Additional Course(s)
- Introduction of Integrated / Dual Degree Course
- Closure of the Institution
- Introduction/ Continuation of Fellow Programme in Management
- Change in the Name of the Course(s)/ Merger of the Courses/ Reduction in Intake/ Closure of Programme(s) / Course(s)
- Change in the Name of the Institution or Affiliating University / Board or Type of Institution (Institution(s) converted into a University)
- Change in the Minority Status of the Institution
- Change in the Name of the Bank
- Change in the Name / Address of the Trust / Society / Company
- Extended EoA
- Collaboration and Twinning Programme between Indian and Foreign University / Institution in the field of Technical Education, Research and Training
- Applications from the existing Institutions offering Technical Programmes at Diploma / Under Graduate Degree and affiliated to Board / University for seeking NOC for Introduction / Continuation of Vocational Education Programme(s) leading to Diploma / Degree in Vocational Education under NSQF.

Note: Institutions Deemed to be Universities offering Technical Programme(s) approved by the Council shall have to submit an application to the Council indicating the increase in Intake in the Courses / New Course(s). The Council shall grant approval to those respective Programmes / Courses.

Institutions Deemed to be Universities that have been recognized as an Institute of Eminence by the Ministry of Education, Government of India shall have to update the detail in AICTE Web Portal on annual basis and comply the Norms and Standards as specified by AICTE from time to time.

Submission of online applications for **A.Y. 2023-24 shall begin w.e.f 23-03-2023 till 06-04-2023 (Midnight) and with penalty up to 13-04-2023 (Midnight).**

All Higher Education Institutions conducting / desirous to conduct Technical Programmes are requested to visit AICTE Website @ "www.aicte-india.org > Home > Quick link: Approval Process 2023-24" regularly for all General Notifications, Updated Information and Official Communications related to Approval Process 2023-24.

AICTE is also organizing online curtain raiser event appraising the changes in APH 2023-24 on **22-03-2023 at 04:00 PM**. Education Partners (Stakeholders) can attend the same through the link available on website.

Prof. RAJIVE KUMAR
Member Secretary, AICTE

Advt. No: Regulation Bureau/AICTE/03(02)/2023 dated 21-03-2023



अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक निकाय)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली – 110070

फोन नंबर : 011-29581050, 011-29581515 वेबसाइट : www.aicte-india.org

अनुमोदन प्रक्रिया वर्ष 2023–24 हेतु सार्वजनिक सूचना

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए शिक्षा भागीदारों (हितधारकों) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :-

1. तकनीकी कार्यक्रम, पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नई तकनीकी संस्थाएं स्थापित करने हेतु – इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी, आयोजना, अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प, डिजाईन, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर अनुप्रयोग (एमसीए), प्रबंधन (पीजीसीएम / पीजीडीएम/एमबीए) ।
2. विद्यमान तकनीकी संस्थाओं/ मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं/ विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय/ राज्य/निजी) से अनुमोदन का विस्तार हेतु ।
3. एकल (स्टैण्डएलोन) संस्थानों/ मानित विश्वविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय/ राज्य/निजी) से मुक्त एवं दूरस्थ रीति (ओडीएल) और अथवा ऑनलाईन रीति में कार्यक्रमों/ पाठ्यक्रमों (प्रबंधन, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं डेटा विज्ञान, रसद एवं यात्रा और पर्यटन) को संचालित करने हेतु अनुमोदन में विस्तार/अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने हेतु

सभी आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए अभातशिप के वेब-पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन जमा करने से पहले अभातशिप की अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2023–24 तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (तकनीकी संस्थाओं के लिए अनुमोदन की मंजूरी) विनियम, 2020 एवं प्रथम संशोधन विनियम, 2021 का अत्यंत ध्यानपूर्वक तथा सम्पूर्णतः अध्ययन कर लें, जोकि अभातशिप के वेब पोर्टल : @ www.aicte-india.org पर उपलब्ध हैं ।

नए तकनीकी संस्थान स्थापित करने के इच्छुक शैक्षिक भागीदार (हितधारक) अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2023–24 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप "National Single Window System (NSWS)" (<https://www.nsws.gov.in>) पर ऑनलाईन आवेदन जमा करेंगे। ऐसे केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय, जो अभातशिप से अपने तकनीकी कार्यक्रमों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें सभी तकनीकी कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों के लिए अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा, (आंशिक अनुमोदन की अनुमति नहीं दी जाएगी)। **यदि यह पाया गया कि विश्वविद्यालय/मानित विश्वविद्यालय संस्थान ने आंशिक अनुमोदन प्राप्त किया है तो उनसे उन्हें प्रदान किए गए अभातशिप के अनुमोदन को वापस ले लिया जाएगा।**

सभी विद्यमान तकनीकी संस्थान/मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय जो पहले से ही अभातशिप द्वारा अनुमोदित हैं वे अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2023–24 में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप अध्याय – II/ III/ IV/ V/ VI के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन जमा करेंगे। केन्द्रीय, राज्य तथा निजी विश्वविद्यालयों के लिए तकनीकी कार्यक्रमों हेतु अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। तथापि ऐसे संस्थान तकनीकी कार्यक्रम संचालित करते समय अभातशिप सन्वियमों का अनुपालन करेंगे। वे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति सहित अभातशिप की अन्य सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं।

अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प में पाठ्यक्रम संचालित करने वाली विद्यमान संस्थाएं/गैर तकनीकी संस्थाएं जो अभातशिप के अनुमोदन के बिना/एमसीए/एमबीए संचालित कर रही हैं तथा अभातशिप से प्रथम बार अनुमोदन प्राप्त करने की इच्छुक हैं, वे संस्थाएं, नई तकनीकी संस्थाओं के रूप में आवेदन जमा करेंगी।

मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं, के लिए, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सीए संख्या 17869–17870/2017 के मामले में दिनांक 03–11–2017 को जारी किये गए आदेश के अनुपालन में शैक्षणिक वर्ष 2018–19 से अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

एकल (स्टैण्डएलोन) संस्थान/मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं/विश्वविद्यालय जो पहले से ही अभातशिप द्वारा अनुमोदित हैं तथा **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (ओडीएल) तथा ऑनलाईन कार्यक्रम में पाठ्यक्रम** आरंभ करने/जारी रखने के इच्छुक हैं उन्हें अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2023–24 के अध्याय–V के अनुसार आवेदन करना होगा। आगे यह कि, उनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (ओडीएल) तथा ऑनलाईन कार्यक्रम) विनियम, 2020 के अनुसार, **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम (ओडीएल) तथा ऑनलाईन कार्यक्रम** के अंतर्गत कार्यक्रम संचालित करने हेतु संबंधित सम्बद्धता प्रदान करने वाले विनियामक निकाय से अनुमोदन /एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य है। तदनुसार, अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2023–24 के अध्याय–V में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

विद्यमान तकनीकी संस्थानों को निम्नलिखित प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान किया जाता है :

- स्व-प्रकटीकरण के आधार पर अनुमोदन का विस्तार
- अनिवासी भारतीय(यों) (एनआरआई) के लिए सीटें आरंभ करना/जारी रखना
- स्थान/स्थिति में परिवर्तन
- डिप्लोमा स्तर का डिग्री स्तर में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय

- विद्यमान संस्थाओं में नए कार्यक्रम/स्तर को आरम्भ करना
- एक ही न्यास/सोसायटी/कंपनी द्वारा एक ही परिसर अथवा शहर में चलाई जा रही संस्थाओं का विलय करना
- विद्यमान संस्थाओं में पूर्ववर्ती शैक्षणिक वर्ष(र्षों) में रोक के उपरांत अनुमोदन का विस्तार (ईओए) जारी करना/प्रवेश-क्षमता को बहाल करना (रिस्टोरेशन)
- विदेशी राष्ट्रिक (एफ.एन.)/ओसीआई/खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय कामगारों के बच्चों हेतु अधिसंख्य सीटों को आरंभ करना/जारी रखना
- महिला संस्था का सह-शिक्षण संस्था में परिवर्तन तथा इसके विपर्यय
- प्रवेश-क्षमता/अतिरिक्त पाठ्यक्रम (मों) में वृद्धि
- एकीकृत/दोहरी डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ करना
- संस्था को बंद करना
- प्रबंधन में अध्येता (फेलो) कार्यक्रम आरंभ करना/जारी रखना
- पाठ्यक्रम (मों) के नाम में परिवर्तन/पाठ्यक्रमों का विलय करना/प्रवेश-क्षमता में कमी/कार्यक्रम (मों)/पाठ्यक्रम (मों) को बंद करना
- संस्था के नाम अथवा संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय/बोर्ड के नाम में परिवर्तन अथवा संस्था(ओं) के प्रकार में परिवर्तन (संस्थान को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करना)
- संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति में परिवर्तन
- बैंक के नाम में परिवर्तन
- न्यास/सोसायटी/कम्पनी के नाम/पते में परिवर्तन
- अनुमोदन में विस्तार (ईओए) को आगे बढ़ाना
- तकनीकी शिक्षा, शोध एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारतीय एवं विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के बीच सहयोग एवं टिविनिंग कार्यक्रम हेतु
- डिप्लोमा/स्नातकपूर्व डिग्री स्तर पर तकनीकी कार्यक्रम चलाने वाली तथा बोर्ड/विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त विद्यमान संस्थाओं से राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढाँचा (एनएसक्यूएफ) के अंतर्गत व्यावसायिक शिक्षा के डिप्लोमा/डिग्री कार्यक्रम(ओं) को आरंभ करने/जारी रखने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्राप्त करने के लिए आवेदन।

टिप्पणी : परिषद् द्वारा अनुमोदित तकनीकी कार्यक्रम संचालित करने वाली मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं से उन्हें परिषद् को पाठ्यक्रम की प्रवेश क्षमता में वृद्धि /नए पाठ्यक्रम (मों) हेतु विनिर्दिष्ट करते हुए आवेदन करना होगा। परिषद् द्वारा उन्ही संबंधित कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

ऐसी मानित विश्वविद्यालय संस्थाएं जिन्हें शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में मान्यता दी गई है, को वार्षिक आधार पर परिषद् के वेबपोर्टल पर विवरण को अद्यतन करना होगा तथा अभातशिप द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए गए सन्नियमों एवं मानकों का अनुपालन करना होगा।

शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाईन आवेदन जमा करने की प्रक्रिया दिनांक 23 मार्च, 2023 से आरंभ होगी तथा दिनांक 06 अप्रैल, 2023 (मध्य रात्रि) तक होगी एवं जुमाने सहित दिनांक 13 अप्रैल, 2023 (मध्य रात्रि) तक होगी।

तकनीकी कार्यक्रम संचालित कर रही/करने की इच्छुक सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी सामान्य अधिसूचनाओं, अद्यतन सूचना तथा अनुमोदन प्रक्रिया 2023-24 से संबंधित आधिकारिक संवाद के लिए नियमित आधार पर अभातशिप की वेबसाइट @ **"www.aicte-india.org >Home>Quick link: Approval Process 2022-23"** देखें।

अभातशिप द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2023 को सायं 04:00 बजे अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2023-24 में हुए परिवर्तनों से अवगत कराने हेतु ऑनलाईन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शैक्षिक भागीदार (हितधारक) वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

प्रो० राजीव कुमार
सदस्य सचिव, अभातशिप

विज्ञापन सं. : रेगुलेशन ब्यूरो/अभातशिप/03(02)/2023 दिनांक 21-03-2023